मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में दिनांक 17 अक्तूबर, 2019 को उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति की द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त

बैठक में निम्न सदस्यगण/प्रतिनिधि उपस्थित रहेः–

1. श्री आनंद बर्धन, प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. श्री जय राज, प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
3. श्री राजीव भरतरी, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
4. श्री डी0 जे0 के0 शर्मा, अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी–वन संरक्षण, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
5. श्री भुवन चंद्र, मुख्य वन संरक्षक, वन पंचायत, प्रतिनिधि नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण (प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत) एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
6. श्री भूपेश तिवारी, अपर सचिव (वित्त), प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
7. अपर सचिव, ग्राम्य विकास, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
8. श्री बी0 एम0 मिश्रा, अपर सचिव, राजस्व, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
9. अपर सचिव, कृषि, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
10. श्री मनोज कुमार तिवारी, सहायक निदेशक, पंचायती राज, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
11. श्री विजय कुमार यादव, अपर सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
12. श्री दिनेश वर्मा, संयुक्त निदेशक, नियोजन विभाग, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
13. श्री एस0टी0एस0 लेप्चा, जनजाति मामलों के विशेषज्ञ/जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
14. डा0 समीर सिन्हा, अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

विशेष आमंत्रीः

1. श्री सुभाष चंद्रा, अपर सचिव, वन एंव पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।

सर्वप्रथम अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा एवं सदस्य सचिव द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। तदोपरांत् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के नये अधिनियम के अनुसार विधिवत गठन एवं संचालन समिति के गठन व समिति की संरचना आदि से समिति को अवगत कराया गया। समिति की बैठकों के आयोजन के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि संचालन समिति की बैठकों का आयोजन प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार अवश्य किया जाये।

कार्यसूची संचालन समिति 2:1 दिनांक 05.02.2019 को सम्पन्न हुई संचालन समिति की प्रथम बैठक की कार्यवाही की पुष्टि एवं अनुपालन ।

सदस्यगणों द्वारा दिनांक 05.02.2019 को सम्पन्न संचालन समिति की प्रथम बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई एवं सदस्यगण कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या से अवगत हुए।

कार्यसूची संचालन समिति 2:2 वित्तीय वर्ष 2018–19 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना एवं उसके सापेक्ष वित्तीय प्रगति की स्थिति ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा एवं सदस्य सचिव द्वारा वर्ष 2018–19 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि एवं प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2018–19 की कुल ₹ 31830.00 लाख की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष क्रियान्वयन अभिकरणों को ₹ 13162.28 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई व कियान्वयन इकाईयों द्वारा ₹ 11886.24 लाख का व्यय किया गया है जो कि अवमुक्त धनराशि का लगभग 90.30 प्रतिशत है। मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि व्यय की प्रगति का आकलन वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर सुनिश्चित किया जाय क्योंकि संचालन समिति द्वारा वार्षिक कार्ययोजना के आकार को अनुमोदित किया जाता है।

2:2.1 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2018–19 में नये CAF Act, 2016 के लागू होने व नई व्यवस्था के प्रारम्भ होने की तिथि भारत सरकार से स्पष्ट न होने के चलते, वर्ष 2018–19 के व्यय में समुचित प्रगति परिलक्षित नहीं है।

2:2.2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि ऐसी गतिविधियों, जिन्हें वर्ष 2018–19 की वार्षिक कार्ययोजना में पूर्ण नहीं किया जा सका, उनमें से प्राथमिकता के आधार पर अनेक कार्यों को प्रभागों द्वारा वर्ष 2019–20 की वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित किया गया है।

2:2.3 मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, संचालन समिति द्वारा वर्ष 2018–19 की निम्न मुख्य गतिविधियों में प्राप्त प्रगति से समिति को अवगत कराया गया :–

- वन पंचायतों में स्थानीय नागरिकों की वन एवं वन्य जीव सुरक्षा के प्रति रूचि बढ़ाने/जागरूकता के दृष्टिगत वन पंचायतों को प्रभागीय वनाधिकारियों के माध्यम से आवंटित कुल ₹ 350.00 लाख की धनराशि का 4300 वन पंचायतों में वनाग्नि सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों हेतु उपयोग।
- ₹ 389.58 लाख की लागत से 52 वन रक्षक/वन्यजीव रक्षक चौकियों का निर्माण कार्य।
- ₹ 694.94 लाख की लागत से 1612 कि0मी0 वन मार्गों /अश्व मार्गों का रखरखाव कार्य।
- मा0 मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता वाली योजना 'वर्षाजल संग्रहण' के अंतर्गत वर्ष 2018–19 में कंटूर ट्रेन्च, चाल–खाल, धारा–नौला जीर्णोद्धार व चेक डैम निर्माण आदि कार्यों पर विशेष बल दिया गया, जिनका विवरण निम्नानुसार है:–
  - **3805 चैक डैम** एवं चाल–खालों का निर्माण ।
  - **1795 है0 क्षेत्र में कंटूर ट्रेंच** का निर्माण।
  - विभिन्न क्षमताओं के कुल **1689 जल कुण्डों** का निर्माण ।
- उपरोक्त जल संरचनाओं के निर्माण से लगभग **6.60 करोड़ लीटर जल संग्रहण क्षमता विकसित** हुई है।
- वर्ष 2018–19 में मा0 मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता वाली योजना 'रिवर फ्रण्ट डेवलपमेंट' में अल्मोड़ा वन प्रभाग के अन्तर्गत **कोसी नदी के जीर्णोद्धार हेतु ₹ 3.70 करोड** की धनराशि से मृदा एवंज ल संरक्षण सम्बन्धी गतिविधियां सम्पादित की गई।
- कोसी नदी के पुनर्जीवन हेतु समयान्तर्गत आवंटित धनराशि से सम्पादित किये गए कार्यो हेतु अल्मोड़ा वन प्रभाग को भारत सरकार द्वारा **राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया।**

2:2.4 मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष, संचालन समिति द्वारा उक्त पर संतोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि वनों को आग से बचाने हेतु इस प्रकार योजना तैयार की जाये जिससे वनाग्नि की घटनाओं में निरंतर कमी परिलक्षित हो। इस हेतु समिति के सदस्यों द्वारा पिरूल प्रबंधन, कृत्रिम वर्षा, नियंत्रित दाहन, माइक्रोप्लान, वर्षा जल संग्रहण संबंधी गतिविधियों व ऐसी वन पंचायतों, जिनके प्रयासों से वनाग्नि की घटनाओं में कमी अथवा पूर्ण सुरक्षा प्राप्त की गई हो को प्रोत्साहन राशि दिये जाने आदि पर विस्तृत चर्चा हुई।

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा कृत्रिम वर्षा के माध्यम से वनाग्नि सुरक्षा एवं रोकथाम किए जाने के सम्बन्ध मे समिति को अवगत कराया गया कि उक्त पर विभाग द्वारा गहनता से विचार किया जा रहा है। मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि कृत्रिम वर्षा से वनाग्नि नियंत्रण के अन्यत्र हुए प्रयासों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाए एवं उक्त का उचित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाये।

2:2.5 मुख्य सचिव महोदय द्वारा चीड़ पिरूल के एकत्रीकरण एवं इसके उपयोग के संबंध में विभाग द्वारा किये जा रहे प्रयासों के सम्बन्ध में निर्देश दिए गये कि इनको और सुदृढ़ किया जाये तथा उनके द्वारा अपेक्षा की गई कि इस विषय पर एक सुविचारित प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराया जाए।

2:2.6 वन रक्षक चौकी निर्माण के संबंध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि वन विभाग में कितनी चौकियां वर्तमान में उपयोग में लाई जा रही हैं, इसकी संबंधित जोनल चीफ/मुख्य वन संरक्षकों के स्तर से समीक्षा की जाए। प्रमुख वन संरक्षक महोदय द्वारा समिति को आश्वस्त किया गया आंतरिक वन क्षेत्रों में कितनी चौकियों का उपयोग स्टाफ द्वारा किया जा रहा है, उक्त की वस्तुस्थिति के आंकलन के लिये विभाग द्वारा प्रणाली विकसित की जायेगी।

2:2.7 समिति द्वारा मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम विषय पर भी चर्चा की गई। प्रमुख वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा अवगत कराया गया कि मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं विभिन्न कारणों से होती हैं जैसे शौचालयों का अभाव होना, गांव के आसपास अत्यधिक रूप से झाड़ियां होना, गावों के आसपास प्रकाश की व्यवस्था न होना, कूड़ा निस्तारण की समुचित व्यवस्था न होना आदि। वन सीमाओं से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त सुविधाओं को बढ़ाए जाने से मानव वन्यजीव रोकथाम किये जाने में सहायता मिलेगी। कैम्पा के अंतर्गत उक्तानुसार शौचालय आदि निर्माण के सम्बन्ध में प्रमुख वन संरक्षक महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार के समक्ष अनुरोध प्रेषित किया जाएगा व भारत सरकार की सहमति प्राप्त होने पर उक्त को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 20 गांवों में किये जाने हेतु आगामी वार्षिक कार्ययोजना 2020–21 में प्रावधान किया जा सकता है।

कार्यसूची संचालन समिति 2.3: वित्तीय वर्ष 2019–20 की कार्ययोजना का आकार

सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि वर्ष 2019–20 हेतु संचालन समिति द्वारा वार्षिक कार्ययोजना ₹ 20800.00 लाख की संस्तुति प्रदान करते हुए भारत सरकार को प्रेषित की गई थी। भारत सरकार द्वारा कार्ययोजना को संशोधित करते हुए वर्ष 2019–20 हेतु कुल ₹ 20310.21 लाख की धनराशि हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त अर्जित ब्याज में से ₹ 1000.00 लाख की धनराशि कैम्पा प्रबंधन एवं क्षतिपूरक वनीकरण, कैट प्लान व अन्य स्थल विशिष्ट गतिविधियों की अनुसूचित दरों में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृत की गई है। सदस्यगण उक्त से अवगत हुए।

कार्यसूची संचालन समिति 2.4: वित्तीय वर्ष 2019–20 की संचालन समिति द्वारा संस्तुत कार्ययोजना के सापेक्ष भारत सरकार से प्राप्त अन्तिम अनुमोदन।

कार्यसूची संख्या–2.3 के क्रम में भारत सरकार द्वारा अपने पत्र 11-100/2015-FC दिनांक 21.06.2019 के माध्यम से उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति द्वारा संस्तुत वर्ष 2019–20 की ₹ रू0 20800.00 लाख की वार्षिक कार्ययोजना को संशोधित करते हुए, कुल ₹ 20310.21 लाख हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। भारत सरकार द्वारा संशोधित निम्न बिन्दुओं से समिति को अवगत कराया गया।

1. वार्षिक कार्ययोजना में Purchase of Fire arms मद में प्राविधानित ₹ 49.90 लाख की अनुमन्यता को अस्वीकृत किया गया।
2. बुग्यालों के संरक्षण हेतु प्राविधानित ₹ 400.00 लाख की धनराशि को वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित करने एवं इसके क्रियान्वयन से पूर्व इस हेतु वन विभाग के स्तर से एक विशिष्ट प्रस्ताव तैयार करने व इसका राज्य वन विभाग द्वारा अनुमोदन प्रदान करने की शर्त रखी गई है। साथ ही प्रस्तावित स्थलों की ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर Geo Mapping किये जाने का भी उल्लेख किया गया है।
3. वनाग्नि सुरक्षा हेतु प्राविधानित ₹ 800.00 लाख की धनराशि को इस शर्त के साथ वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित किये जाने हेतु इसके अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियां वनाग्नि सुरक्षा हेतु तैयार नेशनल एक्शन प्लान (भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श के आधार पर अनुमोनित) के अनुसार किये जाने का उल्लेख किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार को वनाग्नि सुरक्षा हेतु नेशनल एक्शन प्लान के आधार पर एक Comprehensive State Action Plan तैयार किये जाने के निर्देश दिए गये हैं।
4. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) के स्तर पर प्राविधानित की गई कन्टीनजेन्सी मद की धनराशि एवं विभिन्न क्रियान्व्यन अभिकरणों के स्तर पर संचालन व्यय की प्राविधानित कुल ₹ 200.00 लाख की धनराशि को कार्ययोजना में कैम्पा नियमों के अनुसार अनुमन्य नहीं किया गया है।
5- कार्ययोजना/प्रबन्ध योजना हेतु प्राविधानित ₹ 239.90 लाख की धनराशि को कैम्पा की वार्षिक कार्ययोजना में इस कथन के साथ अनुमन्य नहीं किया गया कि "Preparation of Working plans of State Forests & Wildlife areas are State functions and can not be done from the CAMPA Fund"

सदस्यगण उक्त से अवगत हुए।

कार्यसूची संचालन समिति 2.5: वित्तीय वर्ष 2019–20 की स्वीकृत कार्ययोजना के अंतर्गत अवमुक्त धनराशि व उसके सापेक्ष वित्तीय प्रगति।

वर्ष 2019–20 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष वर्तमान तक कियान्वयन इकाईयों को ₹ 8563.35 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसके सापेक्ष ₹ 2106.74 लाख की धनराशि का व्यय हुआ है। मुख्य सचिव महोदय द्वारा व्यय की प्रगति पर गहरी अप्रसन्नता व्यक्त की गई एवं निर्देश दिये गये कि धनराशि का व्यय अत्यंत न्यून है व इसमें वृद्धि लाने हेतु पूर्ण प्रयास किये जायें। उक्त के संबंध में सभी वन प्रभागों के स्तर पर व्यय की समीक्षा की जाए व उन्हें ससमय MIS प्रविष्टि हेतु निर्देशित किया जाए। मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि व्यय की प्रगति का आकलन अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष न होकर उस मद में कुल प्रावधान से आकलित किया जाये, ताकि स्वीकृत कार्ययोजना के सापेक्ष कुल प्रगति की स्थिति स्पष्ट हो सके। कैम्पा के स्तर पर भी यह आवश्यक है कि वार्षिक कार्ययोजना का आकार realistic हो जिससे समस्त प्राविधानित धनराशि का निर्धारित समयावधि में व्यय हो सके।

<u>कार्यसूची संचालन समिति 2.6: कैम्पा के अंतर्गत सम्पादित मुख्य कार्यों की अद्यतन प्रगति।</u>

2.6.1 क्षतिपूरक वनीकरण की अद्यतन भौतिक उपलब्धि :–

सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा गठन (वर्ष 2010–11) से दिनांक 09.10.2019 तक क्षतिपूरक वनीकरण के कुल 26808.50 है0 के भौतिक लक्ष्यों के सापेक्ष कुल 19188.81 है0 का वृक्षारोपण किया गया है जिसका वर्षवार विवरण प्रस्तुत किया गया। भौतिक लक्ष्यों एवं उपलब्धि में अन्तर का कारण वर्ष 2017–18 उपरान्त चारधाम परियोजना एवं ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेलवे लाईन प्रोजेक्टों हेतु हस्तान्तरित वन भूमि के सापेक्ष क्रमशः 1047.29 है0 एवं 542.07 है0 क्षेत्र में होने वाले क्षतिपूरक वनीकरण के लक्ष्यों का सम्मिलित होना है। वर्तमान तक चारधाम परियोजना के अंतर्गत 380.92 है0 क्षेत्र में एवं ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेलवे लाईन के अंतर्गत 493 है0 क्षेत्र में क्षतिपूरक वनीकरण कार्य सम्पादित किया गया है, अर्थात् कुल 1589.36 है0 के सापेक्ष 873.92 है0 क्षेत्र में क्षतिपूरक वनीकरण कार्यों को प्राथमिकता पर पूर्ण किया गया है। सदस्यगण उक्त से अवगत हुए व क्षतिपूरक वृक्षारोपण की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया। क्षतिपूरक वनीकरण के शेष लक्ष्यों के सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि इसे प्राथमिकता पर लेते हुए अवशेष लक्ष्यों को समयान्तर्गत पूर्ण किए जाने के उद्देश्य से प्रभागवार एक्शन प्लान तैयार कर, सम्बन्धित वन प्रभागों को उन्हें आवंटित लक्ष्यों से अवगत कराया गया है।

2.6.2 जल संग्रहण/संरक्षण के दृष्टिगत मृदा एवं जल संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियां :–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को निम्न से अवगत कराया गया:–

(क) मृदा एवं जल संरक्षण कार्यों की प्रगति के साथ–साथ प्राप्त किए जाने वाले गुणवत्ता युक्त परिणामों के दृष्टिगत वन विभाग मुख्यालय स्तर पर इस हेतु गठित स्प्रिंगशेड मैनेजमेंट कंसोर्शियम द्वारा

तैयार किए गये प्राक्कलन के आधार पर 58 जल स्रोतों/धाराओं (Water Streams) के पुनरोद्धार हेतु इनके कैचमेन्ट क्षेत्र उपचार के अंतर्गत विभिन्न संरचनाओं के निर्माण व वृक्षारोपण आदि कार्यों हेतु विभिन्न क्रियान्व्यन अभिकरणों को वर्ष 2019–20 की कार्ययोजना के अंतर्गत रु0 301.02 लाख की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है।

(ख) मा0 मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता के अनुसार मृदा एवं जल संरक्षण कार्यों पर विशेष बल दिया गया है, जिससे विगत 02 वर्षों में कैम्पा के अंतर्गत 9.39 करोड़ लीटर जल संग्रहण क्षमता विकसित हुई है व वर्ष 2019–20 में 7.20 करोड़ लीटर जल संग्रहण क्षमता विकसित की जानी प्रस्तावित है। समिति के समक्ष विभिन्न आकार के वर्षवार निर्मित 1762 जल कुण्डों व वर्ष 2019–20 में प्रस्तावित 950 जल कुण्डों का विवरण प्रस्तुत किया गया।

(ग) कोसी, रिस्पना एवं अन्य नदियों को पुनर्जीवित किए जाने के उद्देश्य से नदियों के पुनर्जीवन मद में गत वर्ष 2018–19 में रु0 370.00 लाख की धनराशि तथा वर्ष 2019–20 के अंतर्गत इस मद में कुल प्राविधानित ₹ 500.00 लाख की धनराशि के सापेक्ष ₹ 100.00 लाख की धनराशि से अल्मोड़ा वन प्रभाग के अंतर्गत कोसी नदी के पुनर्जीवन हेतु मृदा एवं जल संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियों का विवरण संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रदेश की कुल 9 चिन्हित नदियों यथा–नयार, बिन्दाल, रामगंगा, ढेला, बहेला, वीरगंगा (विरही–चमोली), शीतला आदि के संरक्षण के कार्य को भी उक्त योजना में सम्मिलित किया जाए। प्रमुख वन संरक्षक महोदय द्वारा समिति को आश्वस्त किया गया कि इस संबंध में उनके स्तर से इस पर मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल एवं कुमांऊ जोन से विस्तृत चर्चा कर तदोपरान्त प्रस्ताव तैयार कराया जाएगा।

2.6.3 वन पंचायतों में वनाग्नि सुरक्षा एवं वन पंचायत सुदृढ़ीकरण हेतु प्राविधान

(क) वन पंचायतों में वनाग्नि सुरक्षा –

समिति को अवगत कराया गया कि वन पंचायतों में स्थानीय नागरिकों की वन एवं वन्यजीव सुरक्षा के प्रति रूचि बढ़ाने/जागरूकता के दृष्टिगत कुल 4300 वन पंचायतों को वर्ष 2018–19 में वनाग्नि सुरक्षा मद के अंतर्गत ₹ 350.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। इसी क्रम में वर्ष 2019–20 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत कुल 2650 वन पंचायतों को इसी उद्देश्य से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष ₹ 185.92 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई, जिसके सापेक्ष ₹ 156.31 लाख की धनराशि का उपयोग किया जा चुका है।

(ख) **वन पंचायतों का सुदृढ़ीकरण –**

वन पंचायतों के अंतर्गत सुदृढ़ीकरण हेतु उक्त के अतिरिक्त ₹ 10.00 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया गया है। प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत के स्तर से प्राप्त प्रस्ताव/संस्तुति के आधार पर ₹ 127.66 लाख की धनराशि वन पंचायतों में वृक्षारोपण, चारागाह विकास व ग्राम/ब्लॉक/जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु अवमुक्त की गई है। शेष गतिविधियों के संबंध में प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत को प्रभागवार/स्थलवार विवरण उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत से अपेक्षा की गई कि वित्तीय वर्ष 2019–20 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत वन पंचायतों की विभिन्न गतिविधियों का स्थलवार/मदवार/प्रभागवार विवरण शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराया जाए, ताकि इसके आधार पर कैम्पा निधि से धनराशि अवमुक्त की जा सके।

(कार्यवाही–प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड)

मुख्य सचिव महोदय द्वारा वर्ष 2019–20 की वार्षिक कार्ययोजना के विभिन्न मदों में प्राविधानित, अवमुक्त व व्यय की गई धनराशि की विस्तृत समीक्षा की गई व बुग्यालों का संरक्षण व रेस्क्यू सेंटर निर्माण मदों में वर्तमान तक धनराशि अवमुक्त न किये जाने के संबंध में जानकारी चाही गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि बुग्यालों के संरक्षण के संबंध में भारत सरकारों के निर्देशों के अनुसार विस्तृत योजना बनाई जानी है जिस हेतु प्रमुख वन संरक्षक महोदय द्वारा विभाग के अंतर्गत एक समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यवाही की जानी है।

रेसक्यू सेंटर निर्माण के विषय में प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त का विवरण शीघ्र ही उपलब्ध कराया जायेगा।

(कार्यवाही–प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड)।

<u>कार्यसूची संचालन समिति 2.7: वित्तीय वर्ष 2020–21 की वार्षिक कार्ययोजना का निरूपण।</u>

उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया कि CAF Rules 2018 के नियम–36 के प्राविधानों के अनुसार संचालन समिति द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना को प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक अनिवार्य रूप से अनुमोदनार्थ राष्ट्रीय कैम्पा, कार्यकारी समिति, भारत सरकार को प्रेषित किया जाना है।

उपरोक्त के दृष्टिगत इस कार्यालय के पत्रांक–499 दिनांक 06.09.2019, पत्रांक–545 दिनांक 19.09.2019 एवं पत्रांक–583 दिनांक 30.09.2019 के माध्यम से समस्त जोनल अधिकारियों को प्रभागों एवं वन संरक्षक के स्तर से प्राप्त वर्ष 2020–21 की वार्षिक कार्ययोजना को जोनल स्तर पर निर्धारित प्रारूप

में संकलित कर अपनी संस्तुति सहित दिनांक 10.10.2019 तक उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया है। जोनल स्तर से संकलित वार्षिक कार्ययोजना प्राप्त होनी अपेक्षित हैं। संकलित वार्षिक कार्ययोजना को संचालन समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि संचालन समिति की आगामी बैठक दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाए एवं वर्ष 2019–20 की वार्षिक कार्ययोजना को फील्ड की आवश्यकता व व्यय की क्षमता के अनुसार Realistic आकार मे तैयार करते हुए, समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, ताकि प्रदेश की जनता को इसका अधिकाधिक लाभ मिल सके। साथ ही इस बैठक में दिए गये निर्देशों का अनुपालन भी प्रस्तुत किया जाए।

कार्यसूची संचालन समिति 2.8: वित्तीय वर्ष 2018–19 की बैलेन्स शीट का अनुमोदन।

समिति को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2018–19 की बैलेन्स शीट तैयार कर आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत सी0ए0जी0 एम्पेनल्ड सी0ए0 फर्म द्वारा ऑडिट की कार्यवाही पूर्ण कर दी गई है एवं आयकर विवरणी दाखिल की जा रही है। समिति के समक्ष बैलेंस शीट का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके उपरांत समिति द्वारा बैलेंस शीट को अनुमोदन प्रदान किया गया।

समिति के समक्ष वर्ष 2017–18 की वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई जिसका समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में समिति का अभिमत था कि कैम्पा की मुख्य उपलब्धियों पर आधारित visual documentation व stories का प्रकाशन भी किया जाना चाहिए।

कार्यसूची संचालन समिति 2.9: उत्तराखण्ड कैम्पा के वर्ष 2010–11 से वर्ष 2014–15 तक के महालेखाकार, उत्तराखण्ड कार्यालय द्वारा कराए गये लेखा प्रमाणीकरण/ऑडिट के सम्बन्ध में।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सदस्य–सचिव द्वारा महालेखाकार, उत्तराखण्ड द्वारा वर्ष 2010–11, 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 के लेखा प्रमाणीकरण पूर्ण किये जाने की जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। ऑडिट रिपोर्ट उत्तराखण्ड विधान सभा के पटल पर रखे जाने हेतु शासन को प्रेषित की गई है। उक्त के अतिरिक्त द्वितीय चरण में वर्ष 2013–14 व 2014–15 के लेखा प्रमाणीकरण का कार्य भी महालेखाकार, उत्तराखण्ड कार्यालय द्वारा पूर्ण कर लिया गया है, जिसमें उजागर आपत्तियों के निराकरण से सम्बन्धित प्रत्युत्तर महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किए जा चुके हैं।

सदस्य–सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि महालेखाकार, उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा प्राधिकरण का प्रथम बार लेखा प्रमाणीकरण का कार्य किया गया है, जिसमें

महालेखाकार, उत्तराखण्ड द्वारा लेखों के सम्बन्ध में विशेष अनापत्ति टिप्पणी नहीं की गई है। इसमें सामान्यतः वित्तीय उपाशय सम्बन्धी प्रक्रियात्मक व सुधारात्मक Comments किये गये हैं। समिति उक्त से अवगत हुई।

कार्यसूची संचालन समिति 2.10: प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के अंतर्गत गठित उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि के क्रियान्वयन सम्बन्धी की गई अद्यतन कार्यवाहियां।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा उपस्थित सदस्यगणों को CAF Act, 2016 के सम्बन्ध में प्रदेश स्तर पर अब तक की गई निम्नानुसार कार्यवाही से अवगत कराया गया:–

- CAF Act, 2016 की धारा 10(1) के प्राविधानों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दिनांक 14 सितम्बर, 2018 को उत्तराखण्ड राज्य के स्तर पर अधिसूचना के माध्यम से 'उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि और योजना प्राधिकरण' का गठन किया गया है।
- अधिनियम की धारा 4(1) के तहत दिनांक 28 सितम्बर, 2018 की उत्तराखण्ड शासन के स्तर से निर्गत अधिसूचना के माध्यम से 'उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि' का गठन किया गया है।
- अधिनियम की धारा 11(2) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति में उत्तराखण्ड शासन द्वारा जनजाति मामलों के विशेषज्ञ/जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि श्री एस0टी0एस0 लेप्चा, (भा0व0से0) सेवानिवृत प्रमुख वन संरक्षक एवं धारा 11(3) के अन्तर्गत कार्यकारी समिति में 02 गैर सरकारी संगठनों (हिमालयन एक्शन रिसर्च एन0जी0ओ0, देहरादून एवं उज्जवला, गैर सरकारी संगठन कोटद्वार) एवं 02 जिला स्तरीय पंचायती राज संगठनों के प्रतिनिधियों को नामित किये जाने संबंधी अधिसूचना भी उत्तराखण्ड शासन के स्तर से दिनांक 09 जुलाई, 2019 को निर्गत की गई है।
- भारत सरकार के स्तर से अधिसूचित लेखा प्रक्रिया अनुसार प्रदेश स्तर पर कैम्पा निधि में जमा कराए जाने तथा व्यय किये जाने हेतु राज्य सरकार के स्तर पर सिविल डिपोजिट सहित समस्त लेखाशीर्षकों के खोले जाने संबंधी समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर ली गई है।
- उक्तानुसार खोले गये सिलिव डिपोजिट एकाउंट में राष्ट्रीय कैम्पा स्तर से दिनांक 28 अगस्त, 2019 को उत्तराखण्ड राज्य का राज्यांश रु0 2675.09 करोड़ की धनराशि प्राप्त की जा चुकी है।
- कैम्पा निधि के Payment Gateway के उद्देश्य से SCRIPS (State CAMPA Receipts Portal System) से लिंक किये जाने संबंधी भारत सरकार के निर्देशानुसार समस्त

कार्यवाहियां पूर्ण कर, इस संबंध में उत्तराखण्ड शासन के स्तर से राज्य सरकार के IFMS (Integrated Financial Management System) को SCRIPS से एकीकृत किये जाने के संबंध में भारत सरकार को आपना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

संचालन समिति उक्त प्रगति से अवगत हुई।

कार्यसूची संचालन समिति 2.11: कैम्पा निधि के उपयोग सम्बन्धी व्यवस्था।

कैम्पा निधि के उपयोग के सम्बन्ध में सदस्य–सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा नई व्यवस्था लागू होने तक वर्तमान में धनराशि के उपयोग के संबंध में भारत सरकार द्वारा कैम्पा निधि में अवशेष धनराशि को अग्रेत्तर वित्तीय वर्ष में व्यय किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है एवं पूर्व की व्यवस्था को विभिन्न पत्रों के माध्यम से विस्तारित किया गया है। तद्नुसार भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों को क्रियान्वयन हेतु समस्त क्रियान्वयन अभिकरणों को प्रसारित कर दिया गया है। समिति उक्त से अवगत हुई।

कार्यसूची संचालन समिति 2.12: कैम्पा निधि के Transaction हेतु Fund Flow

संचालन समिति को अवगत कराया गया कि CAF Act, 2016 के प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड कैम्पा निधि का विधिवत गठन किया जा चुका है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार के स्तर पर खोले गये सिविल डिपोजिट में भारत सरकार से उत्तराखण्ड कैम्पा का राज्यांश रु0 2675.09 करोड़ प्राप्त हो चुका है। अगले वित्तीय वर्ष हेतु कैम्पा निधि के Transaction यथा–कार्यदायी संस्थाओं द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण के सापेक्ष जमा कराई जाने वाली धनराशि, वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष विभिन्न घटकों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा को प्राप्त होने वाली धनराशि एवं उसके सापेक्ष घटकवार व्यय आदि हेतु उत्तराखण्ड कैम्पा के स्तर से Fund Flow प्रस्तावित किया गया है। समिति के समक्ष प्रस्तावित Fund Flow का चार्ट प्रस्तुत किया गया।

दिनांक 28.08.2019 को भारत सरकार द्वारा राज्यांश की धनराशि हस्तान्तरित किये जाने सम्बन्धी बैठक में उक्त व्यवस्था के विषय में मा0 वन एवं पर्यावरण मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा भारत सरकार में केन्द्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के समक्ष अभिमत प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रक्रिया को अपनाए जाने के दृष्टिगत इसे दिनांक 30.09.2019 को आयोजित उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी समिति की बैठक में भी इसका परीक्षण किया गया।

प्रयोक्ता एजेन्सियों द्वारा जमा कराए जाने वाली धनराशियों के संबंध में भारत सरकार द्वारा SCRIPPS की व्यवस्था की गई है जिसकी सहमति उत्तराखण्ड के स्तर से भारत सरकार को प्रेषित कर दी गई है। इसका अंतिमिकरण भारत सरकार के स्तर पर लंबित है क्योंकि इसमें निजी बैंकों द्वारा

संचालित payment gateway पर सहमति नहीं बन पाई है। इसे Reserve Bank of India के payment gateway से link किये जाने पर विचार किया जा रहा है।

संचालन समिति प्रस्तावित Fund Flow Mechanism से अवगत हुई।

कार्यसूची संचालन समिति 2.13: अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

1. समिति द्वारा विचारोपरांत संरक्षित क्षेत्रों से गांवों को अन्यत्र विस्थापित किये जाने पर सहमति व्यक्त करते हुए वर्ष 2020–21 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना में उक्त से संबंधित प्रस्ताव सम्मिलित किये जाने के निर्देश दिये गये।
2. मुनिकीरेती में मा0 मुख्यमंत्रीजी की घोषणा अनुसार ईको/बायोडायवर्सिटी पार्क बनाए जाने के संबंध में कैम्पा की अनुमन्य गतिविधियों के अंतर्गत कार्यों के वित्त पोषण की संभावनाओं पर विचार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
3. उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ब्रह्मकमल आदि दुलर्भ स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण संबंधी योजनाएं भी कैम्पा के अंतर्गत सम्मिलित की जाएं।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार परक गतिविधियां चिन्हित की जाएं व कैम्पा के अंतर्गत उक्त के वित्त पोषण की संभावनाएं तलाशी जाएं।

अंत में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समस्त उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद करते हुए बैठक का समापन किया गया।

अनुमोदित

(समीर सिन्हा)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा एवं सदस्य सचिव,
संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं
अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखंड प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखंड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन मुख्यालय, 85–राजपुर रोड, देहरादून टेलीफैक्स : 0135–2744077 ई–मेल: ceocampa-forest-uk@nic.in /ceoukcampa@gmail.com

web site- www.ukcampa.org.in

पत्रांक– 788 /सं0स0(2) दिनांक, देहरादून, 14 नवम्बर, 2019

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
4. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
5. प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
6. प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
7. प्रमुख सचिव, जनजाति विकास, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
8. प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
9. प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
10. प्रमुख वन संरक्षक **(HoFF)**, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
11. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
12. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी–वन संरक्षण, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
13. अपर प्रमुख वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, 25–सुभाष रोड, देहरादून एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
14. नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण (प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत) एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
15. श्री एस0टी0एस0 लेप्चा, सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

14/11/19

(डॉ. समीर सिन्हा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखंड कैम्पा।

पत्रांक– 788 / सं0स0(2) उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि: निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा के संज्ञानार्थ सादर प्रेषित।

14/11/19

(डॉ. समीर सिन्हा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखंड कैम्पा।